

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 143/2025

दर्ज दिनांक 24.11.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/266

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. उदयराम पिता भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरेश सोनी पिता भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. माधवलाल पिता कस्तुर कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पिता उदयराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता नारायण टांक निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:- 24/3/2026

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.02.2026 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण शामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 175 में अंकित आराजी संख्या 337 रकबा 1.23 है० भूमि में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व 17/96 हिस्सा कुल 25/96 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1003/7200 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2/15 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 2537/7200 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर न्यूनतम 8 से 10 फीट तक रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।



सहायक कलक्टर  
(एस.टी.जे.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/223 दिनांक 23.03.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	उदयराम पुत्र भैरूलाल कुमावत सा.धूलखेड़ा खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/3	0.3203
		योग	1	0.3203
2	नरेश पुत्र भैरूलाल सोनी सा. रायपुर खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/4	0.1713
		योग	1	0.1713
3	माधवलाल पुत्र कस्तुर कुमावत सा.पाटियाखेड़ा खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/2	0.1640
		योग	1	0.1640
4	1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण टांक सा.कोशीथल हिस्सा 205/282 2. हीरालाल पुत्र डालचन्द कुमावत सा.पाटियाखेड़ा खातेदार हिस्सा 77/282	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/1	0.1410
		योग	1	0.1410
5	आशीष दाद्रीच पुत्र गोपाललाल ब्राह्मण सा.गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/5	0.1522
		योग	1	0.1522
6	मुकेशकुमार पुत्र घनश्यामलाल कुमावत सा.सुरास खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/6	0.2812
		योग	1	0.2812

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 24/3/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाड़ोती)  
सहायक फलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक फलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)  
(सुरास)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 143/2025

दर्ज दिनांक 24.11.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/266

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. उदयराम पिता भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरेश सोनी पिता भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. माधवलाल पिता कस्तुर कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पिता उदयराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता नारायण टांक निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

निर्णय दिनांक : 24/3/2026

डिक्री दिनांक : 24/3/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज, व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	उदयराम पुत्र भैरूलाल कुमावत सा.धूलखेड़ा खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/3	0.3203
		योग	1	0.3203
2	नरेश पुत्र भैरूलाल सोनी सा. रायपुर खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/4	0.1713
		योग	1	0.1713
	माधवलाल पुत्र कस्तुर कुमावत सा.पाटियाखेड़ा खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/2	0.1640



सहायक कलक्टर  
(एस.जी.ओ.) रायपुर

		योग	1	0.1640
4	1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण टांक सा.कोशीथल हिस्सा 205/282 2. हीरालाल पुत्र डालचन्द कुमावत सा.पाटियाखेड़ा खातेदार हिस्सा 77/282	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/1	0.1410
		योग	1	0.1410
5	आशीष दाधीच पुत्र गोपाललाल ब्राह्मण सा.गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/5	0.1522
		योग	1	0.1522
6	मुकेशकुमार पुत्र घनश्यामलाल कुमावत सा.सुरास खातेदार	ग्राम जगपुरा (खाता संख्या 175)	337/6	0.2812
		योग	1	0.2812

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/3/2026 को जारी किया गया।

(करुणा लाड़ोती)  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)  
(एस.जी.ओ.) रायपुर

मुद्द	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



(करुणा लाड़ोती)  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)  
(एस.जी.ओ.) रायपुर